

1. वादी सं. 1 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे मौजा ज्याणी खेत ख.न. 15 रकबा 2.7276 हेक्टेयर मे से 0.4546 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, ख.न. 41 रकबा 0.2266 हेक्टेयर मे से 0.0378 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, तथा ख.न. 28 रकबा 3.5369 हेक्टेयर मे से 1/3 भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 2 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे मौजा ज्याणी के खेत ख.न. 15 रकबा 2.7276 हेक्टेयर मे से 0.4546 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, ख.न. 41 रकबा 0.2266 हेक्टेयर मे से 0.0378 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, तथा ख.न. 28 रकबा 3.5369 हेक्टेयर मे से 1/3 भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 3 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे मौजा ज्याणी खेत ख.न. 16 रकबा 0.0243 हेक्टेयर सम्पूर्ण, ख.न. 15 रकबा 2.7276 हेक्टेयर मे से 0.4546 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, ख.न. 41 रकबा 0.2266 हेक्टेयर मे से 0.0377 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार, तथा ख.न. 28 रकबा 3.5369 हेक्टेयर मे से 1/3 भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

वादी सं. 1 ता 3 के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा 20 रकबा 0.0243 हेक्टेयर घोषित किया जाता है।

वादी सं. 4 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा ज्याणरी के खेत ख.न. 15 रकबा 2.7276 हेक्टेयर मे से 1/2 भाग नजरी नक्सानुसार, ख.न. 41 रकबा 0.2266 हेक्टेयर मे से 1/2 भाग नजरी नक्सानुसार, ख.न. 174 रकबा 1.7321 हेक्टेयर पुरा घोषित किया जाता है।

वादी सं. 5 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा ज्याणी के ख.न. 127 रकबा 3.1484 हेक्टेयर मे से 3.1364 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 9 के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा ज्याणी खेत ख.न. 127 रकबा 3.1484 हेक्टेयर मे से 0.0120 हेक्टेयर नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के बंट में अराजीयात भूमि में से बंट नहीं रखे जाने से इनका नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हक त्याग बाबत स्टाम्प शुल्क जमा करने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।

नजरी नक्सा निर्णय एवं डिकरी आदेश का भाग रहेगा। इसी अनुरूप डिकरी पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को पालनार्थ तहरीर जारी हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 06/01/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल